भारत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुतकर्ता : शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

भारत में जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (सी आर एस) की शुरुआत एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जन्म और मृत्यु, किसी भी व्यक्ति के जीवन की दो ऐसी सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जो उसके जीवन को परिभाषित करती हैं। ये न केवल किसी व्यक्ति के वैधानिक अस्तित्व को दर्शाती हैं, बल्कि इन घटनाओं का पंजीकरण उस जनसँख्या का मुख्य आधारभूत सूचना स्रोत भी है। नागरिक पंजीकरण (सिविल रजिस्ट्रेशन) जीवनांक घटनाओं, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, भ्रूण मृत्यु और तलाक की घटनाओं और विशेषताओं की एक सतत, स्थायी और अनिवार्य रिकॉर्डिंग है जिस पर आधारित आंकड़ों को जीवनांक सांख्यिकी कहा जाता है। हालाँकि, यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन से अभिप्राय केवल जन्म, मृत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से ही है।

भारत में जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (सी आर एस) की शुरुआत एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली का इतिहास 19वी शताब्दी के मध्य से शुरू होता है | उस समय इसकी शुरुआत जनसँख्या नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के रजिस्ट्रेशन, महामारी व बिमारियों के नियंत्रण के लिए सफाई व्यवस्था में सुधार लाने हेतु की गयी थी | पहले का बराड प्रदेश एक मात्र उदाहरण है, जहाँ 1866 में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी |

- भारत में सर्वप्रथम जीवनांक सांख्यिकी की महत्ता पर भारतीय अकाल आयोग (1880) द्वारा बल दिया गया और कहा गया कि सभी गाँव व कस्बों में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर से अनिवार्य हो और मुख्य जीवनांक सांख्यिकी को मासिक तौर पर निरंतर रूप से प्रकाशित भी किया जाये | परन्तु पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम वर्ष 1886 में ही लागू किया गया। चूँकि यह अधिनियम किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए पहले से लागू या बाद में पारित किए जा सकने वाले विषय पर किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करता था इसलिए इसका प्रभाव सीमित था।

भारत में जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (सी आर एस) की शुरुआत एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- परन्तु उसके बाद भी समान कानूनी प्रावधानों के अभाव में, देश के विभिन्न हिस्सों में पंजीकरण प्रथाएँ और प्रक्रियाएँ व्यापक रूप से भिन्न थीं। इस स्तिथि को वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन ने और अधिक जटिल बना दिया। अतः इस स्तिथि में सुधार लाने को आवश्यक मानते हुए एक केंद्रीय कानून बनाने पर विचार किया गया जिसके क्रम में अप्रैल, 1961 में भारत के महारजिस्ट्रार ने अप्रैल 1961 में एक सम्मेलन बुलाया जिसमे जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए एक केन्द्रीय कानून को जल्दी ही लागू करने की सिफारिश की गयी । इसके बाद, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पेश और पारित किया गया, जिसे 31 मई, 1969 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 2 जून, 1969 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II खंड I में अधिसूचित किया गया।

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आर बी डी एक्ट) 1969, देश के अधिकतर राज्यों में 1 अप्रैल, 1970 और इसके बाद शेष राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ | इस अधिनियम से देश में प्रचलित विभिन्न कानूनी प्रावधानों को समाप्त किया गया एवं जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के रजिस्ट्रेशन की एकरूप एवं अनिवार्य व्यवस्था लागू की गई।

भारत में जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (सी आर एस)

- जीवनांक सांख्यिकी, जिसमें जन्म और मृत्यु के पंजीकरण शामिल है, को भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत क्रमांक 30 पर दर्शाया गया है ।
- भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 1989 में बाल अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर हस्ताक्षरी होने के नाते, प्रत्येक जन्म का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है |
- भारत में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी अधिनियम), 1969 के लागू होने के बाद से अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत जन्म, मृत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण घटना घटित होने के स्थान के आधार पर किया जाता है।
- आरबीडी अधिनियम के लागू होने से पहले, समान कानूनी प्रावधानों के अभाव में देश के विभिन्न हिस्सों में पंजीकरण प्रथाएं और प्रक्रियाएं व्यापक रूप से भिन्न थीं। 1969 के अधिनियम ने पंजीकरण के लिए एक समान कानून लागू किया जो अब पूरे देश में लागू है।

भारत में जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (सी आर एस)

- अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय विधि मंत्रालय के परामर्श से भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने आदर्श नियम (1970) बनाये जिसमे रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई गयी | तथा इसके आधार पर राज्यों ने भी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य नियम बनाये |
- भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने 1999 में सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सांख्यिकी प्रकार्य की व्यापक समीक्षा की एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को संशोधित किया जिसके अंतर्गत नए आदर्श नियम बनाये और राज्यों को दिए ताकि वे भी अपने राज्य में इसके अनुकूल नियम बनाये | नए नियम ज्यादातर राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में 1 जनवरी 2000 से लागू हैं |
- यह घटना के घटित होने के स्थान के अनुसार किया जाता है।
- घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए, निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग किया जाता है, जीवित जन्म के लिए फॉर्म 1, मृत्यु के लिए फॉर्म 2 और मृत जन्म के लिए फॉर्म 3।

जीवित जन्म

“ जीवित जन्म” से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात श्वांस लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शित करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जात समझा जाता है। (धारा-2घ)

मृत जन्म

ऐसी भ्रूण मृत्यु जिसमें गर्भाधान की उत्पाद की अवधि कम से कम 28 सप्ताह हो चुकी हो, उसे “मृत जन्म” कहेंगे। (धारा-2 छ नियम 3)

मृत्यु

“मृत्यु” जीवित जन्म हो जाने के पश्चात किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन है। (धारा-2ख)

जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (सी आर एस) के उद्देश्य एवं उपयोग

जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के तीन प्रकार के उद्देश्य है:

1. कानूनी
2. प्रशासनिक, और
3. सांख्यिकीय

व्यक्तियों के लिए कानूनी और सुरक्षात्मक उपयोग	❖ जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड जन्म स्थान और जन्म तिथि का कानूनी प्रमाण प्रदान करते हैं ❖ विरासत, बीमा दावों आदि के निपटान के लिए मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड आवश्यक है। ❖ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्ष्य मूल्य है
प्रशासनिक उपयोग	❖ स्थान अनुसार जन्म और मृत्यु का एक कानूनी रजिस्टर ❖ मृत्यु दर, मृत्यु के कारणों, स्वास्थ्य योजना को सुविधाजनक बनाने आदि के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत।
सांख्यिकीय उपयोग	❖ सामाजिक-आर्थिक योजना, स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसांख्यिकीय डेटा का स्रोत ❖ जनसंख्या वृद्धि के रुझान को समझने के लिए प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर पर डेटा आवश्यक है और इसका उपयोग जनसंख्या अनुमान के लिए किया जाता है

पंजीकरण रिकार्ड की उपयोगिता

जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग

- समाज कल्याण योजनाओं से लाभ लेने के लिए
- बच्चे का प्रथम अधिकार
- पहचान स्थापित करना
- आयु का निश्चयात्मक प्रमाण
  - किशोरों के संरक्षण व देखभाल के लिए
  - विद्यालय में प्रवेश हेतु
  - ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि बनवाने के लिए
  - मताधिकार के लिए प्रमाण
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नाम दर्ज करना

(राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में रहने वाले सभी नागरिकों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करना है। इस रजिस्टर का अद्यतन जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से होगा)

मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग

- पैतृक व सम्पत्ति के अधिकार के स्थापन के लिए
- बीमा राशि पाने के लिए
- परिवार पेंशन

भारत में जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (सी आर एस)

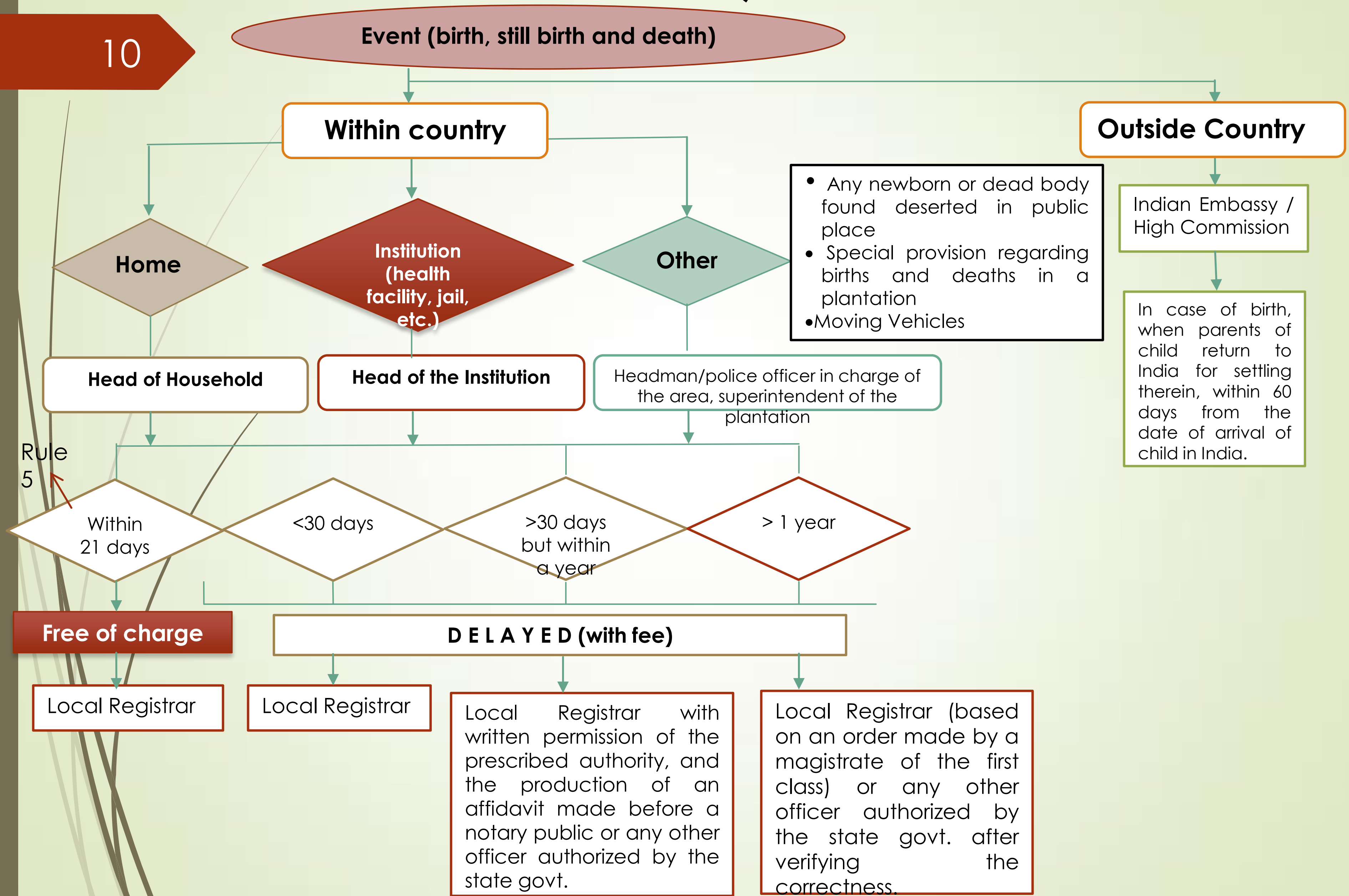

Registration functionaries

Chief Registrar belongs to different departments in States and Union Territories (UT)

Health Department	• 21 States/UTs
Planning, Economics & Statistics Department-	• 13 States /UTs
Panchayat & Local Administration	• 2 States/UTs (Kerala & Puducherry)

Registration functionaries

District level authorities in States and Union Territories (UT)

District Collectors/ District Magistrate	• 10 States/UTs
Chief Medical Officers/District Medical and Health officers	• 14 States /UTs
District Statistical/ Planning Officers	• 7 States/Uts
Deputy Director / Assistant Director (Panchayat)	• 2 States/UT's

Registration functionaries

Local area (Rural) level authorities in States and Union Territories (UT)

Panchayat Department	• 17 States/UTs
Health Department	• 14 States /UTs
Revenue Department	• 2 States/UTs
Education Department	• 2 States/UT's
Police Department	• 1 State/UT (J & K)